न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	तारीख दायरा	आदेश तिथि
206/2021	प्रा.पत्र 251-A RTA	28.12.2021	14.03.2022

रामेश्वर लाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सोमासी तहसील व जिला चूरू
—प्रार्थी—

बनाम

1. फुलीदेवी पत्नी सांवताराम जाति जाट निवासिनी सोमासी तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी अप्रार्थी सं. 1

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में इसी अनुवान का एक दावा धारा 251 (ए) आर.टी.ए. पेश किया गया था जिसमें दौराने सुनवाई अप्रार्थिया सं. 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया तथा बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज करने का निर्णय किया गया। प्रार्थी द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 20/2019 पेश की गई। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 09.12.2021 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.02.2018 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलाण्ट वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रार्थना पत्र मानते हुए या नया प्रार्थना पत्र लेकर दोनों पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर धारा 251 (ए) आर.टी.ए. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करें। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार श्रीमान् के न्यायालय द्वारा वादी/प्रार्थी को नया प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये जिस पर प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन एवं कृषि कार्यों हेतु वर्तमान में प्रचलित रास्ता कटवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने तथा मौका पर रास्ते की लम्बाई [illegible] निशानदेही लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में [illegible] अप्रार्थिया सं. 1 के पति सांवताराम ने दिनांक 09.08.1985 को कृषि भूमि ख.न. 135 रोही मौजा सोमासी की खा[illegible] केशर बेवा बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सोमासी से जरिए पंजीकृत बैनामा इस खसरे [illegible] में से 1 बीघा 4 विश्वा भूमि ब हिस्सा बराबर संयुक्त रूप से क्रय की थी जिसका बाद में विधिवत बंटवारा कर लिया। बंटवारे के मुताबिक पश्चिम तरफ की 12 विश्वा भूमि अप्रार्थिया सं. 1 के पति सांवताराम के व पूर्वी तरफ की 12 विश्वा भूमि प्रार्थी के हक हिस्सा व पांती में आई जिनके दो

उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर कायम हुए। प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि के ख.नं. 220/135 व अप्रार्थिया सं. 1 के पति के नाम की कृषि भूमि के ख.नं. 221/135 कायम हुए जिनमें दोनों अपनी-अपनी रिहायशी ढाणी बनाकर परिवार सहित रिहायश कर रहे हैं व काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी व अप्रार्थिनी सं. 1 के पति सांवताराम ने जब यह कृषि भूमि क्रय की थी तब विक्रेता केशर बेवा बन्नेसिंह ने बैनामा में यह उल्लेख किया था कि ख.नं. 135 की भूमि में आने जाने का रास्ता मेरी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 133 में से होकर रहेगा। इस प्रकार यह भूमि क्रय करने की तिथि से ख.नं. 135 में आने जाने का रास्ता चूरू से भालेरी सड़क से फंटकर पूर्वी तरफ स्थित कृषि भूमि ख.नं. 133 रोही मौजा सोमासी में से रहा है तथा आज भी है। इस एकमात्र रास्ते से प्रार्थी लगातार अपनी कृषि भूमि ख.नं. 220/135 में आवागमन करता रहा है तथा आज भी कर रहा है। यही विवादित व वादगत रास्ता है। रोही मौजा सोमासी की खातेदार केशर बेवा बन्नेसिंह ने अपने ख.नं. 133 में से 3/4 हिस्सा भूमि अप्रार्थिनी सं. 1 को बैय कर दी जिससे नये ख.नं. 281/133 तादादी 3 बीघा 17 विश्वा (0.9738 हैक्टेयर) कायम हुये हैं तथा यह भूमि अप्रार्थिनी सं. 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसमें से प्रार्थी रास्ता कायम करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे अंकित किया है कि ख.नं. 133 में से 3 बीघा 17 विश्वा (0.9738 हैक्टेयर) भूमि खरीद करने के बाद अप्रार्थिनी सं. 1 व उसके पति के मन में बेईमानी आ गई जिन्होंने दिनांक 09.08.1985 को मौके पर कायम व चालू रास्ते पर व्यवधान करने का प्रयास किया तो वर्ष 2001 में प्रार्थी ने अप्रार्थिनी सं. 1 व उसके पति सांवताराम के खिलाफ इसी रास्ता की बाबत एक दावा अनुवानी रामेश्वरलाल बनाम सांवताराम वगैरा मु.नं. 9/2001 इस न्यायालय में पेश किया तथा दावा के साथ इसी अनुवान का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सं. 38/2001 पेश किया। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का श्रीमान् जी के न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2003 को यह उल्लेख करते हुए निस्तारण कर दिया कि "पत्रावली में मौका रिपोर्ट तहसीलदार, चूरू द्वारा दिनांक 06.12.2001 को पेश की है जिसमें अंकित किया है कि सांवताराम का मकान ख.नं. 135 के पश्चिम में बना हुआ है तथा रामेश्वरलाल (प्रार्थी) का मकान पूर्व में बना हुआ है इन दोनों मकानों के गेट ख.नं. 133 में फुलीदेवी (प्रतिवादिनी सं. 1) के खेत में निकलते हैं व इन दोनों घरों के लिए यहां से रास्ता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के आवागमन के लिए मौके पर रास्ता उपलब्ध है।" इस प्रकार से श्रीमान् जी के न्यायालय द्वारा उक्त विवादित रास्ते के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है।

प्रार्थी द्वारा अगस्त 2010 में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि श्रीमती फुलीदेवी व उसका पति प्रार्थी के खेत व घर के रास्ते में बार-बार व्यवधान कर रहे हैं जिनको रोका जावे। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार, चूरू से करवाई गई थी। तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट में उल्लेख किया कि रास्ता की बाबत पटवारी हल्का द्वारा मौका देखा गया मौके पर रामेश्वरलाल व सांवताराम अपनी अपनी खातेदारी भूमि में बसे हुए हैं दोनों का रास्ता श्रीमती फुलीदेवी की खातेदारी की भूमि ख.नं. 133 के दक्षिणी तरफ व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उत्तरी तरफ से पूर्व में रामेश्वरलाल के घर तक जाता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा जांच करवा कर फर्द मौका व नजरी नक्शा के साथ रिपोर्ट पेश की जो एक सरकारी रेवेन्यु एजेन्सी ने की है तथा रास्ता चालू होना स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विवादित वादगत रास्ता पर चूरू से भालेरी सड़क से प्रार्थी की कृषि भूमि में बनी रिहायशी ढाणी तक खुर्रा निर्माण इण्टरलॉक बनाया गया है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29.12.2015 को, तकनीकी स्वीकृति दिनांक 05.01.2016 को एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23.02.2016 को दी गई तथा दिनांक 24.04.2016 को सी.सी. जारी कर दी गई। इस प्रकार से राजकीय एजेन्सी के आदेशानुसार राजकीय कोष से 658000/- रू. खर्च कर इण्टरलॉक से खुर्रा निर्माण किया गया है जो रास्ते के अस्तित्व में होने का पुख्ता प्रमाण है। अप्रार्थिनी सं. 1 की ओर से इसी रास्ते की बाबत इस न्यायालय में एक दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2017 को निस्तारण कर दिया गया जिसकी बहस में वकील अप्रार्थिनी सं. 1 ने दलील पेश की कि ''यदि व्यक्तिगत सुविधा हेतु रास्ता चाहिए तो आर.टी.एक्ट की धारा 251 (ए) में आवेदन करें।'' वर्तमान में कृषक कृषि कार्यों जैसे खेत की जुताई, फसल की कटाई, अनाज की कढाई आदि के नये नये उपकरण ट्रेक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्ट आ गये हैं तथा अनाज व अन्य कृषि उपजों को घरों, गोदामों व कृषि उपज मण्डियों में लाने ले जाने के लिये ट्रेक्टर ट्रॉलियों, ट्रेक्टर व पिकअप आदि का उपयोग करने लग गये हैं। खेत में खाद वगैरा डालने, चारा, पाला, लूंग, लकड़ी आदि को घर ले जाने के लिये ऊंटगाड़ा का उपयोग करने लग गये हैं। ऐसी सूरत में काश्तकारों को चौड़े रास्तों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। चौड़ा रास्ता कायम हो जाने के भय से कृषक काश्तकार ऐसे रास्तों में रूकावट पैदा करते हैं। इसी प्रकार की परेशानी प्रार्थी के समक्ष भी आ रही है। अप्रार्थिनी सं. 1 के कृषि भूमि ख.नं. 281/133 रोही मौजा सोमासी के मौके पर रास्ता चालू होते हुए भी अप्रार्थिनी सं. 1 प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में ट्रेक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर, पिकअप व ऊंटगाड़ा आदि लाने ले जाने में व्यवधान पैदा करती है। इसलिए उक्त चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता अंकित करवा कर राजस्व नक्शा में अंकित करवाना प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ते के नजरी नक्शा एनेक्जर-ए के साथ न्यायालय में पेश किया जा रहा है जिसे इस प्रार्थना पत्र का एक भाग समझा जावे।

प्रार्थी व अप्रार्थिनी सं. 1 के पति सांवताराम ने जब ख.नं. 133 व 135 की खातेदार काबिज काश्तकार केशर बेवा बन्नेसिंह राजपूत से ख.नं. 135 में से 1 बीघा 4 विश्वा भूमि क्रय कर बैनामा करवाया था तब उक्त बैनामा में खातेदार ने यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि विक्रय की गई ख.नं. 135 की भूमि में आवागमन का रास्ता मेरी अन्य भूमि ख.नं. 133 में से रहेगा। ऐसी सूरत में प्रार्थी को मौका पर रास्ता पूर्व में दिया जा चुका है जो आज भी है। इस कारण से अप्रार्थिनी सं. 1 द्वारा बाद में खरीदी गई ख.नं. 133 की 3 बीघा 17 विश्वा भूमि जिसके ख.नं. 281/133 हैं, में से रास्ता पहले से चालू है। उक्त रास्ता के दक्षिण में प्रार्थी की भूमि है। चूंकि अप्रार्थिनी सं. 1 की भूमि में से रास्ता पहले से मौजूद है इसलिए विधिक प्रावधानों के अनुसार रास्ता में जाने वाली कृषि भूमि [illegible] को दिया जाना सम्भव नहीं है। विधिक प्रावधानों के दूसरे विकल्प के अनुसार [illegible] जाने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से जो भी कीमत माननीय न्यायालय [illegible] कीमत प्रार्थी अप्रार्थिनी सं. 1 को देने के लिए तैयार है। प्रार्थी ख.नं. 220/135 [illegible] काबिज काश्तकार है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की जोत में आवागमन हेतु एकमात्र [illegible] अप्रार्थिनी सं. 1 की कृषि भूमि ख.नं. 281/133 रोही मौजा सोमासी में से रहा व आज भी है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन का नहीं रहा है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 220/135 में आवागमन हेतु अप्रार्थिनी सं. 1 के ख.नं. 281/133 में से प्रार्थी की रिहायशी ढाणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तक रास्ता कटाने एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शा में अंकन हेतु बार–बार कहा जाने पर दिनांक 01.04.2017 को अप्रार्थिनी द्वारा साफ इन्कार करने से इस प्रार्थना पत्र को पेश करने का कारण व आधार प्राप्त है।

विवादित रास्ता से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी सं. 2 के पावर व पजेशन में होने एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में मुताबिक आदेश कार्यवाही अप्रार्थी सं. 2 के मार्फत होने के कारण अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए अप्रार्थी सं. 2 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना ही पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के पक्षकारान के निवास स्थान एवं विवादित रास्ता की कृषि भूमियां श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित हैं इसलिए रास्ता से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् जी को प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण निम्न अनुतोष प्रदान किये जाने का आदेश फरमावें:–

(क) प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 220/135 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू में सदैव से आवागमन हेतु प्रार्थी की रिहायशी ढाणी (घर) तक रास्ता को ट्रेक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर मशीन, ऊंटगाड़ा, पिकअप आदि लाने ले जाने हेतु चूरू से भालेरी सड़क आम से फंटकर सड़क से चिपती हुई पूर्वी तरफ की कृषि भूमि ख.नं. 281/133 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू के राजस्व रिकार्ड में 2 गट्ठा (साढे सोलह फुट) चौड़ा रास्ता काटा जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करते हुए मौका पर लम्बाई चौड़ाई में उक्त रास्ता की निशानदेही प्रार्थी को दी जावे।

(ख) खर्चा प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अप्रार्थिनी से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो अथवा दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र हो जावे, वह भी अता फरमावें।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा गया एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। प्रार्थी की ओर से सूची के संलग्न दस्तावेज पेश किये। तहसीलदार, चूरू से धारा 251 'क' के विधिक प्रावधानों के तहत रास्ते के सम्बन्ध में बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय विस्तृत रास्ता प्रस्ताव मंगवाये गये। तारीख पेशी दिनांक 21.02.2022 को प्रार्थी ने तहसीलदार, चूरू द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर आक्षेप करते हुए आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 22.02.2022 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थिनी सं. 1 ने जवाब में प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 से 5, 7 से 12 को स्वीकार करते हुए मद सं. 6 में वर्णित यह कथन कि अप्रार्थिनी सं. 1 द्वारा ख.नं. 133 की 3 बीघा 17 विश्वा भूमि खरीद करने के बाद अप्रार्थिनी सं. 1 व उसके पति सांवताराम के मन में बेईमानी आ गई, गलत एवं झूठे लिखे होने से अस्वीकार किया है। मद सं. 13 में अंकित ये तथ्य कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिनी सं. 1 को कई बार कहने, दूसरो से भी कहलवाने पर, प्रार्थी के साथ चलकर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विवादित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में कटानी करवा कर अंकन करवाने, अप्रार्थिनी सं. 1 द्वारा स्पष्ट इन्कार करने के कथनों को अस्वीकार करते हुए शेष कथन स्वीकार किये हैं। मद सं. 14 14 व 15 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होना अंकित किया है। अप्रार्थिनी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र की अन्तिम मद अनुतोष 'क' व 'ग' को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का तथ्य अंकित किया है तथा अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष ''क'' को स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 220/135 रोही मौजा सोमासी तहसील व जिला चूरू में आवागमन हेतु अप्रार्थिनी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 281/133 रोही मौजा सोमासी तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में 2 गट्ठा (साढे सोलह फुट) चौड़ा रास्ता प्रार्थी की रिहायशी ढाणी (घर) तक काटा जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने व मौका पर लम्बाई चौड़ाई में निशानदेही प्रार्थी को देने में अप्रार्थिनी सं. 1 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है तथा न ही अप्रार्थिनी सं. 1 रास्ता में जाने वाली भूमि की कोई राशि प्रार्थी से लेना चाहती है।

तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने, प्रार्थी द्वारा आपत्ति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं प्रार्थी व अप्रार्थिनी सं. 1 के मध्य रास्ते के सम्बन्ध में सहमति होने के कारण प्रार्थी की आपत्ति सारहीन होने से खारिज की गई। तहसीलदार, चूरू से दिनांक 08.03. 2022 को बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्जर ''क'' एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने हेतु सहमति प्रकट की।

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी खेत ख.नं. 220/135 रोही मौजा सोमासी में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 381/133 रोही मौजा सोमासी की दक्षिणी सीमा के पास से पश्चिम से पूर्व की ओर 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता दिये जाने की मांग की है जिस पर इण्टरलॉक सड़क पहले से बनी हुई है तथा मौके पर आज भी चालू है। अप्रार्थिनी सं. 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करते हुए चाहा गया रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति एतराज नहीं होने का कथन किया है। वादगत कृषि भूमियों की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम सोमासी के खाता संख्या 50, 82 एवं 96 के अवलोकन से जाहिर होता है कि खाता नं. 50 ख.नं. 253/234, 281/133 तादादी क्रमशः 0.0253 हैक्टेयर, 0.9738 हैक्टेयर अप्रार्थिनी सं. 1 खातेदारी की, खाता सं. 82 ख.नं. 220/135 तादादी 0.1518 हैटेक्यर प्रार्थी की खातेदारी एवं खाता सं. 96 ख.नं. 221/135 तादादी 0.1518 हैक्टेयर सांवताराम पुत्र शेराराम की खातेदारी भूमियां है। उपरोक्त खसरों की नकल नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पति सांवताराम की खातेदारी भूमियां अप्रार्थिनी सं. 1 की खातेदारी भूमि के दक्षिण में अवस्थित हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा एनेक्जर–''ए'' में लाल स्याही से मार्क में चाहा गया रास्ता दर्शित है जो कि चूरू से भालेरी जाने वाली सड़क से शुरू होकर अप्रार्थिनी सं. 1 के ख.नं. 281/133 में से दक्षिणी सीमा के सहारे पूर्व की ओर प्रार्थी के खातेदारी खेत ख.नं. 220/135 के मध्य तक जाना दर्शित किया है। यही रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जो पटवारी हल्का अति. झारिया व भू–अभिलेख निरीक्षक झारिया द्वारा प्रार्थी, अप्रार्थिनी सं. 1 एवं अन्य मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई है, जिसके बिन्दु सं. 1 में अंकित आया है कि ''प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। यह सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।'' बिन्दु सं. 2 में अंकित आया है कि ''प्रस्तावित रास्ते के अन्य खातेदारों की जोत में होकर जाने वाले रास्ते प्रार्थी के खसरा नम्बर 220/135 के उतरी दिशा के चिपते लगने वाले खसरा नम्बर 281/133 व 282/133 हैं। इन खसरा नम्बरों के दक्षिणी सींव के समानान्तर चूरू से भालेरी मुख्य सड़क तक लगभग 13 फुट चौड़ा रास्ता जिस पर इण्टरलॉक खुर्रा बना हुआ है। यह रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 220/135 तक जाता है। इस रास्ते का उपयोग प्रार्थी व अप्रार्थी आने जाने के लिए करते हैं। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं है। प्रार्थी रामेश्वर के खसरा नम्बर 220/135 के दक्षिणी दिशा में दक्षिणी–पूर्व दिशा के कोने से चिपता लगभग 10 फुट चौड़ा रास्ता, जिस पर इण्टरलॉक खुर्रा बना हुआ है। यह रास्ता भी राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं है। यह रास्ता जो दक्षिणी पूर्व कोने में लगता है, यह शिक्षा विभाग स्कूल की खातेदारी भूमि है।'' बिन्दु सं. 3 में अंकित आया है कि ''प्रार्थी के खसरा नम्बर 220/135 के उतर की ओर लगने वाले खसरा नम्बर 281/133 व 282/133 के दक्षिणी दिशा में लगने वाले रास्ते (इण्टरलॉक खुर्रा) की मौके पर लम्बाई 346 × 13 फुट, कुल 4498 वर्गफुट है। खसरा नम्बर 220/135 के दक्षिणी पूर्व कोने से लगने वाले रास्ते (इण्टरलॉक खुर्रा), जो शिक्षा विभाग स्कूल का खसरा नम्बर 136 है, के रास्ते की लम्बाई 89 फुट × 10 फुट, कुल 890 वर्गफुट है।'' बिन्दु सं. 4 में अंकित आया है कि ''प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों पक्षों को लिखित में सूचना दी और उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई। दोनों पक्षकारों को लिखित सूचना के हस्ताक्षर/अंगुठा करवाया गया। निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया– 1. प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सोमासी, 2. अप्रार्थी फुलीदेवी पत्वी सांवताराम जाति जाट निवासी सोमासी, मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से इन्कार किया कि उक्त प्रकरण विवादित है।'' मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता चूरू से भालेरी मुख्य सड़क से पूर्व की ओर रा.उ.मा.वि. सोमासी, सांवताराम व रामेश्वरलाल के खातेदारी खसरा नम्बरों की उत्तरी सीमा के चिपते हुए अप्रार्थिनी फुलीदेवी के खातेदारी खेत ख.नं. 281/133 में से उसकी दक्षिणी सींव के पास से लगभग 13 फुट चौड़ा व 346 फुट लम्बा रास्ता जिस पर इण्टरलॉक खुर्रा बना हुआ है, दर्शित किया गया है। उक्त नजरी नक्शा में आगे अन्य खातेदार शकुन्तला पत्नी धर्मपाल नायक के खातेदारी खेत ख.नं. 282/133 में भी 89 फुट लम्बा व 13 फुट चौड़ा रास्ता दर्शित है। प्रार्थी के खेत के दक्षिणी कोने के लगने वाला एक अन्य रास्ता भी दर्शित किया गया है जिस पर इण्टरलॉक खुर्रा बना हुआ है तथा यह रास्ता आंगनबाड़ी केन्द्र व प्रार्थी के खेत के दक्षिणी कोने तक दर्शित है जो स्कूल शिक्षा विभाग की खातेदारी के ख.नं. 136 में अवस्थित होना अंकित किया है। तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव में उल्लेखित ख.नं. 282/133 एवं 136 के खातेदारान प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं हैं, तथा न ही उक्त दोनों खसरों में से कटानी रास्ते की मांग प्रार्थी द्वारा की गई इसलिए उक्त दोनों खसरों में से दर्शित किये गये रास्ते पर कोई विचार किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं मानता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:01 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव फर्द मौका व नजरी नक्शा का अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थी द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हैं। प्रार्थी द्वारा यह रास्ता अप्रार्थिनी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 281/133 में से चाहा गया है जिस पर अप्रार्थिनी सं. 1 को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है तथा वह उक्त रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति के एवज में कोई क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी से नहीं लेना चाहती है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता 346 × 13 फुट, कुल 4498 वर्गफुट वाला दर्शित किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा 16.5 फुट चौड़ाई वाले रास्ते की मांग की गई है जिसको दोनों पक्षों ने स्वीकार करते हुए रास्ते की चौड़ाई 16.5 फुट रखने पर सहमति दी है। इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित 13 फुट मीटर चौड़े रास्ते के स्थान पर 16.5 फुट रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं यन्त्र आदि का आवागमन सुगमता से हो सके। उक्त रास्ते की चौड़ाई 16.5 फुट करने से रास्ते का क्षेत्रफल 346 × 16.5 = 5709 वर्गफुट होगा। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थिनी सं. 1 को करने हेतु तैयार हैं परन्तु अप्रार्थिनी सं. 1 ने रास्ते की एवज में कोई भी राशि लेने से इन्कार किया है। इस प्रकार उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में लोक अदालत की भावना से उभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 220/135 तादादी 0.1518 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमासी में आवागमन हेतु तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकितानुसार चूरू से भालेरी जाने वाली सड़क से पूर्वी दिशा में अप्रार्थिनी सं. 1 फुलीदेवी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 281/133 तादादी 0.9738 हैक्टेयर रोही मौजा सोमासी में बने इण्टरलॉक खुर्रा पर खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे पश्चिम से पूर्व ख.नं. 281/133 की पूर्वी सीमा तक 346 फुट लम्बा × 16.5 फुट चौड़ा = कुल 5709 वर्गफुट का गै.मु. रास्ता कटानी अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम की जावे तथा प्रार्थी को मौके पर रास्ते की निशानदेही दी जावे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा भविष्य में आदेश का एक भाग माना जावेगा तथा रास्ते की चौड़ाई 13 फुट के स्थान पर 16.5 फुट मानी जावेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 14.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:01 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू